


## भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी जमशेदपुर के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या- 06/2020-21 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी जमशेदपुर के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या-06/2020-21 में उल्लेख किया गया है कि- मौजा-अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर, वार्ड नं0-17, खाता नं0-37, प्लॉट नं0- 49, रकवा- 34.39 डी0, खाता नं0- 36, प्लॉट नं0- 374, रकवा 59 डी0 हाल सर्वे खतियान के अनुसार माहिन्द्री गोड़ाईन, पति स्व0 राधाकान्त गौड़, के नाम पर खतियान दर्ज है एवं खतियान के कैफियत कॉलम में काबिल लगान कायमी दर्ज है। आवेदित भूमि के खतियानी रैयत का मृत्यु हो चुका है। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्र श्री बाना गोप, नुनु गोप, चुनु गोप एवं कुलमनी गोप द्वारा उत्तराधिकारी लगान निर्धारण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र तथा वंशावली शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है। स्थानीय जाँच के क्रम में आवेदित भूमि पर आवेदक का चहारदिवारी के रूप में दखल कब्जा पाया गया। अंचल अमीन द्वारा तैयार ट्रेस नक्शा तीन प्रति में संलग्न है। आवेदित भूमि साविक सर्वे के अनुसार मौजा- मोहरदा, थाना नं0- 1200, खाता नं0- 8 अन्तर्गत खतियानी रैयत दिनबन्धु गौड़, पिता शिवा गौड़ के नाम संधारित है एवं हाल सर्वे खतियानी रैयत माहिन्द्री गोड़ाईन दिनबन्धु गौड़ की एक मात्र पुत्री थी। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने मौजा-अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर, वार्ड नं0-17, खाता नं0-37, प्लॉट नं0- 49, रकवा- 34.39 डी0, खाता नं0- 36, प्लॉट नं0- 374, रकवा- 59 डी0 भूमि 20/- रू0 प्रति डिसमील अलावे सेस वर्ष 1995-96 से वसूली हेतु बाना गोप, नुनु गोप, चुनु गोप एवं कुलमनी गोप सा0- मोहरदा के नाम पर लगान निर्धारण करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेस नक्शा एवं अंचल अधिकारी जमशेदपुर के द्वारा लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर, वार्ड नं0-17, खाता नं0-37, प्लॉट नं0- 49, रकवा- 34.39 डी0, खाता नं0- 36, प्लॉट नं0- 374, रकवा- 59 डी0 भूमि 20/- रू0 प्रति डिसमील अलावे सेस वर्ष 1995-96 से वसूली हेतु बाना गोप, नुनु गोप, चुनु गोप एवं कुलमनी गोप सा0- मोहरदा के नाम से लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल रूप में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को भेजें।</p>	

10/4/2021  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धालभूम, जमशेदपुर।

10/4/2021  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धालभूम, जमशेदपुर।

आपाक 438 पेज 05/03/2021  
जमशेदपुर उप समाहर्ता - जमशेदपुर